RTI REQUEST DETAILS (आरटीआई अनुरोध विवरण)

Registration Number (पंजीकरण संख्या) :	DSPCE/R/E/20/00145	Date of Receipt (प्राप्ति की तारीख) :	07/12/2020
Type of Receipt (रसीद का प्रकार) :	Online Receipt	Language of Request (अनुरोध की भाषा) :	English
Amount Paid (राशि का भुगतान) :	10) (original recipient)	Mode of Payment (भुगतान का प्रकार)	Payment Gateway
Does it concern the life or Liberty of a Person? (क्या यह किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित है?) :	No(Normal)	Request Pertains to (अनुरोध निम्नलिखित संबंधित है) :	Smt Kamala Rajesh
Information Sought (जानकारी मांगी):	Officials may please give a digital copy (pdf format) of Rule 11 of the Department of Space Employees (Classification Control and Appeal) Rules, 1976 to my email		

Print Save Close

AP20 .20C
Smt. Fathima
[illegible]
9/12/20

RTI Section, ISRO HQ
Recd. On
08 DEC 2020
Dealing Asst.

9110

No.DS_4VL-14018/1/2021-SECTION_4-DOS
Government of India
Department of Space
******

Antariksh Bhavan
New BEL Road
Bangalore – 560 094

February 02, 2021

Sub: Information under the RTI Act, 2005 – reg.
****

2. The reply in respect of the application is furnished below:

Details sought on	Reply
Officials may please give a digital copy (pdf format) of Rule 11 of the Department of Space Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976	Copy of Rule 11 of the Department of Space Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976 is enclosed herewith in 11 pages.

02/02/21
(R Duraipandiyan)
Section Officer

To
APIO, DOS

स्पष्टीकरण: जहाँ किसी ऐसे कर्मचारी की, जो किसी भी समूह का सिविल पद धारण कर रहा है, उसके अगले उच्चतर समूह के सिविल पद पर, चाहे परिवीक्षा पर या अस्थायी रूप से प्रोन्नति की जाती है, वहाँ इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह ऐसे उच्चतर समूह का सिविल पद धारण कर रहा है।

10. कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी

(1) राष्ट्रपति या उनके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी -

(क) किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारंभ कर सकेगा;

(ख) किसी अनुशासनिक प्राधिकारी को ऐसे किसी कर्मचारी के विरुद्ध, जिस पर वह अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति इन नियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(2) वह अनुशासनिक प्राधिकारी, जो नियम 8 के खण्ड (i) से (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति इन नियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, उस नियम के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां इस बात के होते हुए भी प्रारंभ कर सकेगा कि ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी पश्चात् कथित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए इन नियमों के अधीन सक्षम नहीं है।

भाग VI : शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया

11. बड़ी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया

(1) नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश सिवाए ऐसी जाँच के पश्चात् किया जाएगा जो यथाशक्य इस नियम और नियम 12 में उपबंधित रीति में या जहाँ जाँच, लोक सेवक (जाँच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) के अधीन की जाती है वहां उस अधिनियम द्वारा उपवर्णित रीति में की गई हो।

Explanation: Where an employee holding a civil post of any Group is promoted, whether on probation or temporarily, to the civil post of the next higher Group, he shall be deemed, for the purposes of this Rule, to hold the civil post of such higher Group.

10. Authority to institute proceedings

(1) The President or any other authority empowered by him by general or special order may –

(a) institute disciplinary proceedings against any employee;

(b) direct a Disciplinary Authority to institute disciplinary proceedings against any employee on whom that Disciplinary Authority is competent to impose under these Rules any of the penalties specified in Rule 8.

(2) A Disciplinary Authority competent under these Rules to impose any of the penalties specified in Clauses (i) to (iv) of Rule 8 may institute disciplinary proceedings against any employee for the imposition of any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of that Rule notwithstanding that such Disciplinary Authority is not competent under these Rules to impose any of the latter penalties.

PART – VI: PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES

11. Procedure for imposing major penalties

(1) No order imposing any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Rule 8 shall be made except after an inquiry held, as far as may be, in the manner provided in this Rule and Rule 12, or in the manner provided by the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850), where such inquiry is held under that Act.

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सच्चाई की जाँच करने के लिए आधार हैं तब उसकी सच्चाई की जाँच वह स्वयं कर सकेगा या ऐसा करने के लिए यथास्थिति, इस नियम के अधीन या लोक सेवक (जाँच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) के उपबन्धों के अधीन किसी प्राधिकारी को नियुक्त कर सकेगा।

[1][परन्तु जब केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचार) नियम, 1964 के नियम 3-सी के अर्थ में, यौन उत्पीड़न की शिकायत हो, तो ऐसी शिकायतों की जाँच हेतु प्रत्येक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में स्थापित शिकायत समिति को इन नियमों के प्रयोजन हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जाँच प्राधिकारी के रूप में माना जाएगा और यदि शिकायत समिति के लिए यौन उत्पीड़न के शिकायत की जाँच हेतु कोई प्रत्येक प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है तो शिकायत समिति जहाँ तक प्रायोगिक हो, इन नियमों में बनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार जाँच करेगी।]

[2][स्पष्टीकरण: (i) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जाँच करता है, वहाँ उप नियम (7) से उप नियम (20) में और उपनियम (22) में जाँच प्राधिकारी के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है।

(ii) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी, किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं, वहाँ उप-नियम (7) से उप-नियम (20) में और उप नियम (22) में किसी भी निर्देश में ऐसे प्राधिकारी शामिल होंगे।]

(3) जहाँ इस नियम और नियम 12 के अधीन किसी कर्मचारी के विरुद्ध जाँच करने का प्रस्ताव किया जाता है वहां अनुशासनिक प्राधिकारी -

(i) अनाचार या कदाचार के लांछनों के सार को आरोप के निश्चित और सुभिन्न अनुच्छेदों में;

---

[1]दिनांक 22.6.2005 की अधिसूचना सं. 4/5/1/2004-v द्वारा जोड़ा गया - दिनांक 16.7.2005 के एस.ओ.सं. 2489

[2]दिनांक 06.03.2013 की अधिसूचना सं.ई. 14015/1/2012-IV द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 26.03.2013 के एस.ओ.सं. 830 (ई)

(2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an employee, it may itself inquire into, or appoint under this Rule or under the provisions of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850), as the case may be, an authority to inquire into the truth thereof:

[1][Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of Rule 3-C of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Complaints Committee established in each Ministry or Department or Office for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the Inquiring Authority appointed by the Disciplinary Authority for the purpose of these Rules and the Complaints Committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the Complaints Committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry, as far as practicable, in accordance with the procedure laid down in these rules.]

[2][**Explanation:** (i) Where the Disciplinary Authority itself holds the inquiry, any reference in Sub-rule (7) to Sub-rule (20) and in Sub-rule (22) to the Inquiring Authority shall be construed as a reference to the Disciplinary Authority.

(ii) Where the Disciplinary Authority appoints a retired Government servant as Inquiring Authority, any reference in Sub-rule (7) to Sub-rule (20) and in Sub-rule (22) shall include such authority.]

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against an employee under this Rule and Rule 12, the Disciplinary Authority shall draw up or cause to draw up –

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehavior into definite and distinct articles of charge;

---

[1]Inserted vide Notification No. 4/5/1/2004-V dated 22.06.2005 – S.O. No. 2489 dated 16.07.2005

[2]Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013

(ii) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण, जिसमें -

(क) उन सभी सुसंगत तथ्यों का विवरण होगा जिनके अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा की गई कोई स्वीकृति या संस्वीकृति भी आती है;

(ख) उन दस्तावेजों और उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों का समर्थन करने का प्रस्ताव किया गया है, विरचित करेगा या करवायेगा।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी, आरोप के अनुच्छेद की एक प्रति, अनाचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति और उन दस्तावेजों और साक्षियों की एक सूची जिनके द्वारा आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद का अनुसमर्थन करने की प्रस्थापना की गई है, कर्मचारी को परिदत्त करेगा या करवाएगा और कर्मचारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए अपनी प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह बताए कि क्या वह चाहता है कि स्वयं उसे सुना जाए।

(5) (क) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के ऐसे अनुच्छेद की, जो स्वीकार नहीं किये गये हैं; जाँच स्वयं कर सकेगा या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो उप-नियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिए एक जाँच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा और जहाँ आरोप के सभी अनुच्छेदों को कर्मचारी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा के लिखित कथन में स्वीकार किया गया है, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे प्रत्येक आरोप की बाबत अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और नियम 12 में अभिकथित रीति से कार्य करेगा।

(ख) यदि कर्मचारी द्वारा प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेदों की जाँच स्वयं कर सकेगा, या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह उपनियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिए एक जाँच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain –

(a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the employee;

(b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The Disciplinary Authority shall deliver or cause to be delivered to the employee a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained and shall require the employee to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) (a) On receipt of the written statement of defence, the Disciplinary Authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or, if it considers it necessary so to do, appoint under Sub-rule (2), an Inquiring Authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the employee in his written statement of defence, the Disciplinary Authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in Rule 12.

(b) If no written statement of defence is submitted by the employee, the Disciplinary Authority may itself inquire into the articles of charge, or may, if it considers it necessary so to do, appoint, under Sub-rule (2), an Inquiring Authority for the purpose.

[1][(ग) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के किसी अनुच्छेद की जाँच स्वयं करता है या ऐसे आरोप की जाँच करने के लिए कोई जाँच अधिकारी नियुक्त करता है, वहाँ आरोप के अनुच्छेदों के समर्थन में अपनी ओर से मामले को उपस्थापित करने के लिये किसी सरकारी कर्मचारी या विधि व्यवसायी को, जो "उपस्थापक अधिकारी" के नाम से ज्ञात होगा, आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगा।]

[2][**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'सरकारी कर्मचारी' में वह व्यक्ति शामिल है जो अब सरकारी सेवा में नहीं है।]

(6) अनुशासनिक प्राधिकारी, जहाँ कि वह जाँच प्राधिकारी न हो, जाँच प्राधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा :

(i) आरोप के अनुच्छेदों और अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति;

(ii) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरक्षा के लिखित कथन, यदि कोई हों, की एक प्रति;

(iii) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट साक्षियों, यदि कोई हों, के कथनों की एक प्रति;

(v) कर्मचारी को उप-नियम (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों का परिदान साबित करने वाला साक्ष्य; और

(vi) उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति करने वाले आदेश की एक प्रति।

(7) कर्मचारी जाँच प्राधिकारी के समक्ष आरोप के अनुच्छेदों की और अवचार या कदाचार की [3][जाँच प्राधिकारी से प्राप्ति की तारीख से दस कार्यदिवसों के भीतर ऐसे दिन और समय पर, जिसे जाँच प्राधिकारी, लिखित सूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे या दस दिन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो जाँच प्राधिकारी अनुज्ञात करें, स्वयं हाज़िर होगा।

[1]दिनांक 20.12.1980 की अधिसूचना सं. 9/4(1)/80-III द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 17.1.1981 के एस.ओ.सं. 215

[2]दिनांक 06.03.2013 की अधिसूचना सं.ई. 14015/1/2012-IV द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 26.03.2013 के एस.ओ.सं. 830 (ई)

[3]दिनांक 27.03.1996 की अधिसूचना सं. 2/5(1)/91-v के द्वारा प्रतिस्थापित। एस.ओ.सं. 1241 दिनांक 20.4.1996

[1][(c) Where the Disciplinary Authority itself inquires into any article of charge or appoints an Inquiring Authority for holding any inquiry into such charge, it may, by an order, appoint a Government Servant or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.]

[2][**Explanation:** For the purposes of this rule, the expression 'Government servant' includes a person who has ceased to be in Government service.]

(6) The Disciplinary Authority shall, where it is not the Inquiring Authority, forward to the Inquiring Authority:

(i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the employee;

(iii) a copy of the statement of witnesses, if any, referred to in Sub-rule (3);

(iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in Sub-rule (3) to the employee; and

(v) a copy of the order appointing the Presenting Officer.

(7) The employee shall appear in person before the Inquiring Authority on such day and at such time within ten working days from the date of [3][receipt by the Inquiring Authority] of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehavior, as the Inquiring Authority may, by notice in writing, specify, in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days, as the Inquiring Authority may allow.

[1]Substituted vide Notification No. 9/4(1)/80-III dated 20.12.1980 – S.O. No. 215 dated 17.01.1981
[2]Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013
[3]Substituted vide Notification No. 2/5(1)/91-V dated 27.03.1996 – S.O. No. 1241 dated 20.04.1996

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER प्रमाणित प्रति Certified Copy इसरो/अं वि ISRO/DOS

6

[1][(8) (क) कर्मचारी अपनी ओर से मामला उपस्थापित करने के लिए किसी कर्मचारी या सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा किन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधि व्यवसायी तब तक नहीं नियुक्त कर सकेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापित अधिकारी भी विधि व्यवसायी हो; या अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा दे।];

परन्तु, अन्य कर्मचारी अथवा सरकारी सेवक पर [2]{तीन} लंबित अनुशासनिक मामले न हों जिनमें उसे सहायता देनी हो।

(ख) सरकारी सेवक अपनी ओर से अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी सेवोन्मुक्त सरकारी सेवक की सहायता भी ले सकता है, बशर्ते

(i) सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हो;

(ii) सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी तब तक विधि व्यवसायी नहीं होगा, जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापक अधिकारी विधि व्यवसायी न हो, या अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा दे।]

(9) यदि वह कर्मचारी, जिसने अपनी प्रतिरक्षा के लिखित कथन में आरोपों के अनुच्छेदों में से किसी को स्वीकार नहीं किया है या प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है, जाँच प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होता है, तो ऐसा प्राधिकारी उससे यह पूछेगा कि क्या वह दोषी है या क्या उसे कोई प्रतिरक्षा करनी है और यदि वह आरोप के अनुच्छेदों में से किसी का दोष स्वीकार करता है, तो जाँच प्राधिकारी उस अभिवाक को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा, और उस पर कर्मचारी के हस्ताक्षर लेगा।

(10) जाँच प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों के बारे में जिसका दोषी होना कर्मचारी स्वीकार करता है, दोषी होने का निष्कर्ष देगा।

---

[1]दिनांक 16.07.1982 की अधिसूचना सं. 2/8(1)/81-I द्वारा प्रतिस्थापित। एस.ओ.सं. 3113 दि. 4.9.1982 और दिनांक 2.1.1986 की अधिसूचना सं. 2/9(1)/83- I(v) द्वारा संशोधित, एस.ओ.सं. 510 दि. 8.2.1986

[2]दिनांक 23.10.1992 की अधिसूचना सं. 2/5(1)/91-VI के द्वारा प्रतिस्थापित। एस.ओ.सं. 2891 दि. 21.11.1992

[1][(8) (a) The employee may take the assistance of any other employee or a Government servant to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting Officer, appointed by the Disciplinary Authority, is also a legal practitioner, or the Disciplinary Authority, having regard to the circumstances of the case, so permits:

Provided that the other employee or the Government servant shall not have [2]{three} pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

(b) The employee may also take the assistance of a retired Government servant to present the case on his behalf, subject to the conditions that –

(i) the retired Government servant should have retired from the services under the Central Government;

(ii) the retired Government servant may not be a legal practitioner unless the Presenting Officer, appointed by the Disciplinary Authority, is also a legal practitioner, or unless the Disciplinary Authority, having regard to the circumstances of the case, so permits.]

(9) If the employee who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the Inquiring Authority, such Authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the Inquiring Authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the employee thereon.

(10) The Inquiring Authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee pleads guilty.

---

[1]Substituted vide Notification No. 2/8(1)/81-I dated 16.07.1982 – S.O. No. 3113 dated 04.09.1982 and modified vide Notification No. 2/9(1)/83-I(V) dated 2.1.1986 – S.O. No. 510 dated 08.02.1986

[2]Substituted vide Notification No. 2/5(1)/91-VI dated 23.10.1992 – S.O.No. 2891 dated 21.11.1992

(11) जाँच प्राधिकारी, यदि कर्मचारी विनिर्दिष्ट समय के भीतर हाज़िर होने में असफल रहता है या अभिवचन करने से इनकार करता है या लोप करता है, उपस्थापक अधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे साक्ष्य को पेश करें जिससे वह आरोप के अनुच्छेदों को साबित करने की प्रस्थापना करता है, और मामले को, यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् तीस दिन से अनधिक किसी पश्चात्वर्ती तारीख के लिए स्थगित करेगा कि कर्मचारी अपनी रक्षा तैयार करने के प्रयोजन के लिए -

(i) आदेश के पाँच दिन के भीतर या पाँच दिन से अनाधिक इतने अतिरिक्त समय के भीतर जो जाँच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा;

(ii) उन साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकेगा जिनकी परीक्षा उसकी ओर से की जानी है;

टिप्पणः यदि कोई कर्मचारी उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित साक्षियों के कथनों की प्रतियां देने के लिए मौखिक रूप से या लिखित रूप में कोई आवेदन करता है, तो जाँच प्राधिकारी ऐसी प्रतियां यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की परीक्षा के प्रारंभ से तीन दिन पूर्व उसे देगा, उसके उपरान्त नहीं।

(iii) इस आदेश के दस दिन के भीतर या दस दिन से अनधिक उतने अतिरिक्त समय के भीतर जितना जाँच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसे किन्हीं दस्तावेजों की जो सरकार के कब्जे में है किन्तु उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित नहीं हैं, प्रकटीकरण या पेश करने के लिए सूचना दे सकेगा।

टिप्पणः कर्माचारी उन दस्तावेजों की सुसंगति उपदर्शित करेगा जिनके प्रकटीकरण या पेश किए जाने की अपेक्षा उसने सरकार से की है।

(12) जाँच प्राधिकारी, दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश करने के लिए सूचना की प्राप्ति पर, वह सूचना या उसकी प्रतियां, दस्तावेजों को उस तारीख

(11) The Inquiring Authority shall, if the employee fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the employee may, for the purpose of preparing his defence –

(i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the Inquiring Authority may allow, the documents specified in the list referred to in Sub-rule (3);

(ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf;

Note: If the employee applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in Sub-rule (3), the Inquiring Authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the Disciplinary Authority.

(iii) give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the Inquiring Authority may allow, for the discovery or production of any documents which are in the possession of the Government but not mentioned in the list referred to in Sub-rule (3).

Note: The employee shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the Government.

(12) The Inquiring Authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or

8

ISRO/DOS Certified Copy

तक, जो अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट की जाए, पेश करने की अध्यपेक्षा के साथ उस प्राधिकारी को जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे हैं, अग्रेषित करेगा।

परन्तु जाँच प्राधिकारी, ऐसे दस्तावेज की, जो उसकी राय में मामले से सुसंगत नहीं हैं, ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अध्यपेक्षा करने से इनकार कर सकेगा।

(13) उप-नियम (12) में निर्दिष्ट अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर प्रत्येक प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जें में अध्यपेक्षित दस्तावेज हों, उन्हें जाँच प्राधिकारी के सामने पेश करेगा।

परन्तु यदि उस प्राधिकारी का, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित दस्तावेज हों, ऐसे कारणों के आधार पर, जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह समाधान हो जाना है कि ऐसे सभी दस्तावेजों या उनमें से किसी का पेश किया जाना लोक हित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा, तो वह जाँच प्राधिकारी को तदनुसार इत्तला देगा और जाँच प्राधिकारी ऐसी इत्तला मिलने पर, वह इत्तला कर्मचारी को संसूचित करेगा और उस अध्यपेक्षा को प्रत्याहृत कर लेगा जो उसने ऐसे दस्तावेज को पेश करने या प्रकटीकरण के लिए की है।

[1][(14) जाँच के लिए नियत तारीख को, मौखिक और दस्तावेज साक्ष्य, जिसके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों को साबित करने का प्रस्ताव है, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से पेश किया जाएगा। उपस्थापक अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और उनकी प्रतिपरीक्षा कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से की जाएगी। उपस्थापक अधिकारी ऐसी किन्हीं बातों पर साक्षियों की पुनः परीक्षा करने का हकदार होगा जिन पर उनकी प्रतिपरीक्षा की गई है,किन्तु जाँच प्राधिकारी की इजाज़त के बिना किसी नई बात पर नहीं । जाँच अधिकारी साक्षियों से ऐसे प्रश्न भी कर सकेगा जो वह ठीक समझे।]

[1]दिनांक 06.03.2013 की अधिसूचना सं.ई. 14015/1/2012-IV द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 26.03.2013 के एस.ओ.सं. 830 (ई)

copies thereof, to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition:

Provided that the Inquiring Authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in Sub-rule (12), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the Inquiring Authority:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or security of the State, it shall inform the Inquiring Authority accordingly and the Inquiring Authority shall, on being so informed, communicate the information to the employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

[1][(14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the Disciplinary Authority. The witnesses shall be examined by the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the Inquiring Authority. The Inquiring Authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.]

[1]Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013

टिप्पण: यदि पूर्वोत्तर परीक्षा/प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत पहले से आने वाली किसी नई बात पर पुनः परीक्षा करने के लिए उपस्थापक अधिकारी को अनुज्ञात किया जाता है, तो पुनः परीक्षा में आने वाली ऐसी नई बातों पर न्याय के हित की पूर्ति के लिए, प्रतिपरीक्षा करने के लिए भी अनुज्ञात की जाएगी।

(15) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले के बंद किए जाने से पूर्व ऐसी आवश्यकता प्रतीत हो, तो जाँच प्राधिकारी, उपस्थापक प्राधिकारी को ऐसा साक्ष्य पेश करने के लिए स्वविवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो कर्मचारियों को दी गई सूची में सम्मिलित न हो या स्वयं नए साक्ष्य की माँग कर सकेगा और किसी साक्षी की पुनः परीक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में कर्मचारी ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की, जिसके पेश करने का प्रस्ताव हो, एक प्रति, यदि वह उसकी माँग कर पाने का और ऐसे नये साक्ष्य के पेश किए जाने से पूर्व पूरे तीन दिवसों के लिए जाँच के स्थगन का, जिनमें से स्थगन दिवस और वह दिवस जिसके लिए जाँच स्थगित की गई हो, अपवर्जित किया जाएगा, हकदार होगा। जाँच प्राधिकारी कर्मचारी को ऐसे दस्तावेजों के, अभिलेखित किए जाने से पूर्व, निरीक्षण करने का अवसर देगा। जाँच प्राधिकारी, कर्मचारी को नया साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा उस दशा में दे सकेगा जबकि उसकी यह राय हो कि न्याय के हित में ऐसे साक्ष्य का पेश किया जाना आवश्यक है।

टिप्पण: साक्ष्य की किसी कमी को पूरा करने के लिए नया साक्ष्य अनुज्ञात या तलब नहीं किया जाएगा और न किसी साक्षी को पुनः बुलाया जाएगा। ऐसा साक्ष्य केवल उस दशा में तलब किया जा सकेगा जिसमें कि उस साक्ष्य में, जो मूलतः पेश किया गया है, कोई अन्तर्निहित कमी या त्रुटि हो।

(16) जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बंद कर दिया जाए तब कर्मचारी से अपेक्षा की जाएगी कि वह प्रतिपरीक्षा मौखिक या लिखित रूप में, जैसा कि वह अच्छा समझे, कथित करे। यदि प्रतिपरीक्षा मौखिक रूप से की जाती है तो उसे अभिलिखित किया जाएगा और कर्मचारी से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी। दोनों में से किसी भी दशा में, प्रतिपरीक्षा के कथन की प्रति उपस्थापक अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, दी जाएगी।

Note: If re-examination by the Presenting Officer is allowed on any new matter not already covered by the earlier examination/ cross-examination, a cross-examination on such new matters covered by the re-examination may also be allowed to meet the ends of natural justice.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the Disciplinary Authority, the Inquiring Authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the employee or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the employee shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The Inquiring Authority shall give the employee an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The Inquiring Authority may also allow the employee to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice.

Note: New evidence shall not be permitted or called for nor any witness recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally.

(16) When the case for the Disciplinary Authority is closed, the employee shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the employee shall be required to sign the record. In either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) तत्पश्चात् कर्मचारी की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा। कर्मचारी, यदि वह ऐसा करना अच्छा समझे, अपनी ओर से स्वयं अपनी परीक्षा कर सकेगा। तब उन साक्षियों की परीक्षा की जाएगी जो कर्मचारी द्वारा पेश किये जाएं और उन उपबन्धों के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी उनकी प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा और परीक्षा कर सकेगा जो अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों को लागू हो।

(18) जाँच प्राधिकारी, कर्मचारी द्वारा अपना मामला बंद करने के पश्चात इस प्रयोजन के लिए कि कर्मचारी अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने में समर्थ हो सके, साक्ष्य में कर्मचारी के विरुद्ध प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में उससे साधारणतया प्रश्न कर सकेगा और यदि कर्मचारी ने स्वयं अपनी परीक्षा नहीं की है तो ऐसा करेगा।

(19) जाँच प्राधिकारी, साक्ष्य का पेश किया जाना पूरा होने के पश्चात्, उपस्थापक अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, और कर्मचारी को सुन सकेगा या यदि वह ऐसा करना चाहे तो उन्हें अपने-अपने मामलों के लिखित संक्षेप फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(20) यदि वह कर्मचारी, जिसे आरोप के अनुच्छेद की एक प्रति परिदत्त की गई है, इस प्रयोजन की विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता है या जाँच के प्राधिकारी के सामने स्वयं हाजिर नहीं होता है या इस नियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है या ऐसा करने से इनकार करता है तो जाँच प्राधिकारी *एक-पक्षीय* जाँच कर सकेगा।

(21) (क) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ने, जो नियम 8 के खण्ड (i) से (iv)में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है (किन्तु नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है) स्वयं किसी आरोप के अनुच्छेदों की जाँच की है या कार्रवाई की है और उस प्राधिकारी की, स्वयं अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए या उसके द्वारा नियुक्त किसी जाँच प्राधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर अपने विनिश्चय को

(17) The evidence on behalf of the employee shall then be produced. The employee may examine himself in his own behalf, if he so prefers. The witnesses produced by the employee shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the Inquiring Authority according to the provisions applicable to the witnesses for the Disciplinary Authority.

(18) The Inquiring Authority may, after the employee closes his case, and shall, if the employee has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The Inquiring Authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any, appointed, and the employee, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the employee, to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the Inquiring Authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this Rule, the Inquiring Authority may hold the inquiry *ex-parte*.

(21) (a) Where a Disciplinary Authority competent to impose any of the penalties specified in Clauses (i) to (iv) of Rule 8 (but not competent to impose any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Rule (8), has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to his decision on any of the findings of any Inquiring Authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Rule 8

ध्यान में रखते हुए, यह राय होती है कि कर्मचारी पर नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह प्राधिकारी जाँच के अभिलेख ऐसे अनुशासनकि प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जो अन्तिम वर्णित शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

(ख) वह अनुशासनिक प्राधिकारी, जिसको इस प्रकार अभिलेख भेजे जाएं अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य करेगा या यदि उसकी वह राय हो कि न्याय के हित में किन्हीं साक्षियों की अतिरिक्त परीक्षा करनी आवश्यक है, तो वह साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उस साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा तथा कर्मचारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह इन नियमों के अनुसरण में ठीक समझे।

(22) जब कभी किसी जाँच प्राधिकारी की, किसी जाँच में पूर्णतः या अंशतः साक्ष्य सुनने और उसे अभिलिखित करने के पश्चात्, उस में अधिकारिता नहीं रह जाती है और कोई अन्य जाँच प्राधिकारी जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त है और जो ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करता है, उसका उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा उत्तरवर्ती जाँच प्राधिकारी, अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस प्रकार अभिलिखित या अंशतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा और अंशतः स्वयं अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकेगाः

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जाँच प्राधिकारी की यह राय है कि न्याय के हित में साक्षियों में से किसी साक्षी की, जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया गया है, अतिरिक्त परीक्षा आवश्यक है तो वह ऐसे किन्हीं साक्षियों की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रीति से कर सकेगा।

(23) (i) जाँच की समाप्ति के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी -

(क) आरोप के अनुच्छेद और अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण;

(ख) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत कर्मचारी की प्रतिरक्षा;

(ग) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत साक्ष्य का मूल्यांकन;

should be imposed on the employee, that authority shall forward the records of the inquiry to such Disciplinary Authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

(b) The Disciplinary Authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice, recall the witness and examine, cross-examine and re-examine the witness and may impose on the employee such penalty as it may deem fit in accordance with these Rules.

(22) Whenever any Inquiring Authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry, ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another Inquiring Authority which has, and which exercises such jurisdiction, the Inquiring Authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself:

Provided that if the succeeding Inquiring Authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

(23) (i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain –

(a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(b) the defence of the employee in respect of each article of charge;

(c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;

(घ) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर निष्कर्ष और उनके लिए कारण।

स्पष्टीकरण: यदि जाँच-प्राधिकारी की राय में, जाँच की कार्यवाहियों से ऐसा आरोप स्थापित होता हो जो आरोप के मूल अनुच्छेदों से भिन्न है, तो वह आरोप के ऐसे अनुच्छेद पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगाः

परन्तु आरोप के ऐसे अनुच्छेद पर निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किए जाएंगे जब तक कि कर्मचारी ने या तो उन तथ्यों को जिन पर आरोप का ऐसा अनुच्छेद आधारित है, स्वीकार न कर लिया हो या आरोप के ऐसे अनुच्छेद के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा करने का उसको युक्तियुक्त अवसर न मिल चुका हो।

(ii) जाँच प्राधिकारी, जहाँ वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, अनुशासनिक प्राधिकारी को जाँच के अभिलेख भेजेगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे:

(क) खण्ड (i) के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट;

(ख) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया लिखित कथन, यदि कोई हो;

(ग) जाँच के दौरान पेश किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य;

(घ) लिखित संक्षेप, यदि कोई हों, जो जाँच के दौरान उपस्थापक अधिकारी या कर्मचारी या दोनों द्वारा फाइल किए गए हों; और

(ङ) वे आदेश जो जाँच के बारे में अनुशासनिक प्राधिकारी और जाँच प्राधिकारी द्वारा किए गए हों।

12. जाँच रिपोर्ट पर कार्रवाई

(1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जाँच प्राधिकारी नहीं है, ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मामले को अतिरिक्त जाँच और रिपोर्ट के लिए जाँच अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा और तदुपरि जाँच प्राधिकारी नियम 11 के उपबन्धों के अनुसार यावतशक्य अतिरिक्त जाँच कर सकेगा ।

(2) प्रशासनिक प्राधिकारी, यदि आरोप के किसी अनुच्छेद पर जाँच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो तो वह ऐसी असहमति के कारणों को अभिलिखित

(d) the findings on each article of charge and the reasons therefor.

Explanation: If in the opinion of the Inquiring Authority, the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The Inquiring Authority, where it is not itself the Disciplinary Authority, shall forward to the Disciplinary Authority, the records of inquiry which shall include:

(a) the report prepared by it under Clause (i);

(b) the written statement of defence, if any, submitted by the employee;

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;

(d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the employee or both during the course of the inquiry; and

(e) the orders, if any, made by the Disciplinary Authority and the Inquiring Authority in regard to the inquiry.

12. Action on the Inquiry Report

(1) The Disciplinary Authority, if it is not itself the Inquiring Authority, may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the Inquiring Authority for further inquiry and report; the Inquiring Authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of Rule 11, as far as may be.

(2) The Disciplinary Authority shall, if it disagrees with the findings of the Inquiring Authority on any article of charge, record its

जन सूचना अधिकारी PUBLIC INFORMATION OFFICER प्रमाणित प्रति Certified Copy इसरो/अं वि ISRO/DOS

13